कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**48 / 12, 04.09.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रदीप अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर, 45 / 38, न्यू चप्पल मार्केट, मूलगंज, कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-48 /2012, दिनांक 30.08.2012 प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा फुटवियर के निर्माण की तीन प्रणालियों का उल्लेख करते हुए प्रश्न पूछा गया है:-

प्रथम प्रणाली इस प्रणाली में जूते, चप्पल (जिसमें स्पोर्ट्स शू भी शामिल हैं) का अपर प्लास्टिक मैटीरियल, जैसे प्लास्टिक, पी0वी0सी0 व पी0वी0सी0 रेक्सीन का बनाया जाता है, फिर दोनों को एकदूसरे के ऊपर चिपका दिया जाता है।

द्वितीय प्रणाली इस प्रणाली में जूते / चप्पल (जिसमें स्पोर्ट्स शू भी शामिल हैं) प्लास्टिक मैटीरियल, जैसे प्लास्टिक, पी0वी0सी0 व पी0वी0सी0 रेक्सीन के अपर को अलग से बनाकर मोल्डिंग मशीन में रखा जाता है और साथ इन्जेक्शन मोल्डिंग के द्वारा प्लास्टिक मैटीरियल को इन्जेक्ट किया जाता है। इसमें इंजेक्ट किये गये मैटीरियल को रखने के बाद अपर उसके साथ फिक्स हो जाता है और जूता / चप्पल निर्मित हो जाता है। इसे इंजेक्ट मोल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है।

तृतीय प्रणाली इस प्रणाली में जूते / चप्पल (जिसमें स्पोर्ट्स शू भी शामिल हैं) प्लास्टिक, पी0 वी0 सी0 व पी0वी0सी0 रेक्सीन का बनाया जाता हैं और सोल अलग से बनाये जाते हैं। दोंनो को सिल दिया जाता है और जूते / चप्पल का निर्माण हो जाता है।

इन तीनों प्रणालियों में प्लास्टिक मैटीरियल का मुख्य रुप से प्रयोग होता है। पी0वी0सी0 रेक्सीन भी प्लास्टिक मैटीरियल है, क्योंकि इसमें कपड़े के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेण्ट इंस्टीट्यूट ने इस प्रकार के फुटवियर को प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में माना है।

Whether the Plastic Shoes / Footwear (including Sports Shoes) manufactured by the process as described herein above, shall quality for a rate of 4% under Plastic Footwear as appearing in entry no.83 to schedule-II part 'A'of the U.P. Vat Act as amended from time to time.

2. फर्म की ओर से श्री प्रदीप अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्लास्टिक फुटवियर निर्माण की तीनों प्रणालियों में सोल प्लास्टिक का तथा अपर प्लास्टिक, पी0 वी0 सी0, पी0 वी0 सी0 रेक्सीन का होता है। फुटवियर डिजाइन एण्ड

.....2

डेवलपमेण्ट इंस्टीट्यूट, वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट दिनांक 22.09.2011 से भी यह स्पष्ट है कि पी0 वी0 सी0 रेक्सीन से निर्मित जूते व चप्पल प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में आते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री लिबर्टी शू लि0, करनाल के मामले में धारा-59 के निर्णय दिनांक 08.06.2011 में उक्त प्रणालियों के माध्यम से निर्मित ऐसे फुटवियर जिनके सोल व अपर केवल प्लास्टिक मैटीरियल के बने हुए हैं, को प्लास्टिक मोल्डेड फुटवियर की श्रेणी में माना है। नोटिफिकेशन संख्या-क0 नि0-2-421 / XI-99 (1) / 08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(71)-2011, दिनांक 31.03.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 में संशोधन के पश्चात मोल्डेड शब्द को हटा दिया गया है और दिनांक 01.04.2011 से प्लस्टिक फुटवियर पर 4% की दर से करदेयता है। मोल्डेड शब्द हट जाने के उपरान्त तृतीय प्रणाली से निर्मित जूते व चप्पल भी प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में आते हैं और उन पर भी करदेयता उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 के अनुसार हो गयी है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निर्णीत करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-**1662**, दिनांक 03.10.2012 द्वारा प्रेषित अपनी आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा जो फुटवियर के निर्माण की तीन प्रक्रियाएं बतायी गयी हैं, उन सभी में फुटवियर या स्पोर्ट शूज के अपर लोअर भाग अलग-अलग तैयार किये जाते हैं और उनको बाद में एकदूसरे पर-1. रख कर चिपका दिया जाता है या 2. अपर को अलग से बनाकर मोल्डिंग मशीन में इन्जेक्शन मोल्डिंग द्वारा प्लास्टिक मैटीरियल को किया जाता है या सोल को अलग से बनाकर सिल दिया जाता है। इन तीनों प्रक्रियाओं में निर्मित फुटवियर / स्पोर्ट शूज को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक फुटवियर / स्पोर्ट शूज उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता नहीं बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा **सर्वश्री लिबर्टी शू लि0** के मामले में, धारा-59 के निर्णय दिनांक 08.06.2011 में यह निर्णीत किया जा चुका है कि प्लास्टिक फुटवियर निर्माण में प्रयुक्त तीनों प्रणालियों द्वारा निर्मित ऐसे फुटवियर मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर / प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में आयेंगे जिनके सोल व अपर प्लास्टिक के बने हैं। नोटीफिकेशन संख्या-क0 नि0-2-421 / XI-99 (1) / 08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(71)-2011 दिनांक 31.03.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 में संशोधन के पश्चात मोल्डेड शब्द को उक्त प्रविष्टि से विलोपित कर दिया गया तथा उक्त के स्थान पर केवल " प्लास्टिक फुट वियर " दिनांक 01.04.2011 से स्थापित कर दिया गया। अब दिनांक 01.04.2011 से प्लास्टिक फुटवियर निर्माण हेतु वर्णित तीनों प्रणालियों से निर्मित ऐसे फुटवियर, " प्लास्टिक फुटवियर " की श्रेणी में आयेंगे जिनके सोल व अपर प्लास्टिक के हों। यदि अपर प्लास्टिक के अतिरिक्त किसी अन्य मैटीरियल का होगा तो ऐसे जूते व चप्पल प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, तर्कों, साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर

...3

<u>सर्वश्री स्वदेशी फुटवियर / प्रा0 पत्र सं0-48 / 12 / धारा-59 / पृष्ठ-3</u>

जोन-प्रथम की रिपोर्ट, विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत सैम्पिल का परीक्षण किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 के अन्तर्गत कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री लिबर्टी शू लि0 के मामले में दिये गये धारा-59 के निर्णय दिनांक 08.06.2011 में प्लास्टिक फुटवियर के निर्माण में प्रयुक्त उक्त तीनों प्रणालियों द्वारा निर्मित केवल ऐसे फुटवियर, " प्लास्टिक फुटवियर " की श्रेणी में माने गये हैं, जिनके सोल व अपर प्लास्टिक के हों। अत: कमिश्नर, वाणिज्य कर का उक्त निर्णय प्रश्नगत मामले में भी लागू रहेगा। यदि अपर प्लास्टिक के अतिरिक्त किसी अन्य मैटीरियल का बना होगा तो ऐसे फुटवियर प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

ह0 / 11.12.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।